FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-------

Dated-----04-10-2017

No---

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.297 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of .... P.W.D. Pokhari (name of user agency) for Chopara-Pokhari (purpose for diversion of forest land) in..... district falls within jurisdiction of Pokhari-Nakholi village (s) in Pokhari tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to II annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure I.. to annexure II...

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

Signature 4/10/17

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चमोली

तहसीलदार
तहसील पोखरी
जिला चमोली

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकास खण्ड पोखरी में चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा–पोखरी मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा** के नव निर्माण हेतु **3.01 है० सिविल/वन पंचायत भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**, पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की दिनांक 13/12/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री C. R. Binwal उपजिलाधिकारी Pokhari अध्यक्ष

2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] सदस्य

3– श्री पिंकी मंगलवान सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव

4– श्री प्रभा देवी बी०डी०सी० क्षेत्र प्रभा देवी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.01 है० सिविल/वन पंचायत भूमि** का लो०नि०वि० पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **पोखरी** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.01 है० सिविल वन भूमि** का लो०नि०वि० पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
पोखरी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
पोखरी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा—हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा—नखोलियाणा—पोखरी मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकारी अधिनयिम 2006 कि अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—पोखरी,चमेठी
तहसील—पोखरी जिला—चमोली।

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा—हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा—नखोलियाणा—पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य— हे0 आरक्षित वनभूमि 2.38 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.63 हे0 वन पंचायत भूमि कुल 3.01 हे0) अर्थात कुल 3.01 हे0 भूमि का लो0नि0वि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनभूमि मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोखरी, खड़की द्वारा दिनांक 26-12-17 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोखरी चमेठी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/— आशादेवी
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

आशा देवी
सदस्या वार्ड ... खोअर
नगर पंचायत पोखरी

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
पोखरी

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा–पोखरी मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 26-12-17 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चमेठी,पोखरी

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम।	हस्ताक्षर
1	बशीलाल	
	छवेन्द्र टम्टा	छवेन्द्र
	महेश	महेश
	ANKIT CHAUDHARI	Ankit singh
	Mahendra Singh	Mahendra singh
	भरत सिंह	भरत सिंह
	राजेन्द्र टम्टा	राजेन्द्र टम्टा
	बृजेश	बृजेश
	मोहन लाल	मोहनलाल
	विजेन्द्र	विजेन्द्र सिंह
	हुकम सिंह	हुकमसिंह
	नवीन	नवीन कुमार
	जगदम्बा	जगदम्बा
	जयपाल	जयपाल
	हरसिंह	[illegible]
	सुनील	सुनील
	गिरधारी	गिरधारी
	मुकेश	[illegible]
	राजेसिंह	राजेसिंह
	प्रमोद	[illegible]
	तेजेन्द्र	[illegible]
	प्रमोद	प्रमोद
	जयपाल	जयपाल
	रोशन लाल नखोलिया	रोशनलाल
	सोनू नखोलिया	सोनू
	सुनील कुमार	Sunil
	हरीश	हरीश चन्द्र
	बिरेन्द्र सिंह	[illegible]
	मंजू देवी	मंजू देवी

ह0/– आशादेवी

ग्राम प्रधान

आशा देवी
सदस्या वार्ड नं. 2 [illegible]
[illegible] पंचायत पो[illegible]

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम।	हस्ताक्षर
	गीता देवी	गीता देवी
	संगीता देवी	संगीता देवी
	बलवन्त लाल	Bul...
	कमला देवी	कमला देवी
	Meeraj KUMAR	[illegible]
	[illegible]	मोहन
	गोपाल नवोलिया	गोपाल
	सुबोध प्रसाद	Subodh
	सरोजनी	सरोजनी
	TARUN	TARUN
	विकास	विकास
	Mahesh	Mahesh
	सुनीता देवी	सुनीता देवी
	कालिका प्रसाद	कालिका
	पवित्रा देवी	पवित्रा
	संजय नरवोलिया	Sanjay Singh
	भगतराम	[illegible]
	रमेश सिंह	R.S.N
	नागेश कोठियाल	[illegible]
	देवेश सिंह	[illegible]
	दीपक सिंह	[illegible]
	मुकेश सिंह	[illegible]
	देवेन्द्र सिंह	[illegible]
	हेमन्त सिंह	[illegible]
	रामचन्द्र	[illegible]
	मीनाक्षी देवी	[illegible]
	नरेन्द्र	नरेन्द्र
	मंजू देवी	मंजू
	कुवरी देवी	कुवरी देवी
	सुनैना देवी	सुनैना
	सतेश्वरी देवी	सतेश्वरी
	रवीना	Raveena
	अमीषा	Amisha
	अनीता	Aneta
	सूरज कुमार	[illegible]
	पंकज कुमार	[illegible]
	रितेश	[illegible]

आशा देवी
आशा देवी
सदस्या वार्ड नं.2 चोअर
नगर पंचायत पोखरी

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम।	हस्ताक्षर
	आशीष	Ashish
	चन्द्रप्रकाश	[illegible]
	राकेश	Rakesh
	मंगल लाल	Mangal lal
	[illegible]	[illegible]
	सत्य पन्त	SR
	विनोद प्रसाद	Vinod
	आदित्य राम	आदित्या
	पुष्पा पन्त	पुष्पा
	श्याम लाल पंत	श्याम
	अनुसूया प्रसाद	अनुसूया
	परशुराम	परशुराम
	Dinesh Prasad	[illegible]
	बंशी गोविन्द	[illegible]
	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
	हरेन्द्र सिंह	HS
	दिनेश सिंह	[illegible]
	नरेन्द्र प्रसाद	[illegible]
	रघुवीर सिंह	[illegible]
	शिशुपाल	Sushupal
	विमला देवी	विमला देवी
	गणेशी देवी	गणेशी देवी
	महेशी देवी	महेशी
	विशोदा देवी	विशोदा
	गब्बर सिंह	गब्बर सिंह
	लाल सिंह	लाल सिंह
	कुन्दन सिंह	[illegible]
	शिवलाल	SHIV LAL
	मुरवाती देवी	[illegible]
	Ashish	[illegible]
	शंभु लाल	शंभु
	गोविन्द राम	[illegible]
	दिग्पाल	[illegible]
	विक्रम सिंह	विक्रम

आशा देवी
आशा देवी
सदस्या वार्ड ..2 लोअर
नगर पंचा... नरी

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा—हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा—नखोलियाणा—पोखरी मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>वन अधिकारी अधिनयिम 2006 कि अन्तर्गत अनाप्पति प्रमाण—पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम—पोखरी,खड़की
तहसील—पोखरी जिला—चमोली।

<u>अनापत्ति प्रमाण—पत्र</u>

राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा—हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा—नखोलियाणा—पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य— हे0 आरक्षित वनभूमि 2.38 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.63 हे0 वन पंचायत भूमि कुल 3.01 हे0) अर्थात कुल 3.01 हे0 भूमि का लो0नि0वि0 विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनभूमि मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोखरी, खड़की द्वारा दिनांक 26-12-17 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोखरी ,खड़की के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मंगल सिंह नेगी
सदस्य
नगर पंचायत पोखरी
ह0/—

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ह0/—

ग्राम सचिव
मुहर सहित

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
पोखरी

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जिला चमोली के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा–हरिशंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा–नखोलियाणा–पोखरी मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 26-12-17 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खड़की,पोखरी

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम।	हस्ताक्षर
1	लक्ष्मी प्रसाद पन्त	[illegible]
(2)	रघुवीर सिंह चौधरी	रघुवीर सिंह
(3)	कुंवर सिंह रावत	कुंवर सिंह
4-	विनोद सिंह	Vinod
5-	महेन्द्र सिंह चौधरी	Chaudhary
6-	[illegible]	[illegible]
(7)	प्रेम सिंह चौधरी	[illegible]
8	वीरेन्द्र "	[illegible]
(9)	महावीर "	[illegible]
(10)	महेश "	[illegible]
(11)	नरेन्द्र सिंह "	[illegible]
(12)	कुलदीप सिंह	[illegible]
	[illegible] सिंह चौधरी	[illegible]
	सन्तोष सिंह चौधरी	[illegible]
	दिनेश चौधरी	[illegible]
	मदन सिंह चौधरी	मदन सिंह
	उमेद सिंह चौधरी	उमेद सिंह

ह0 / –

ग्राम प्रधान